CHAPTER-IV
TIME AND VALUE OF SUPPLY

Section 12 : Time of supply of goods.

(1) The liability to pay tax on goods shall arise at the time of supply, as determined in accordance with the provisions of this section.

(2) The time of supply of goods shall be the earlier of the following dates, namely:—

(a) the date of issue of invoice by the supplier or the last date on which he is required, under [1]**[****]** section 31, to issue the invoice with respect to the supply; or

(b) the date on which the supplier receives the payment with respect to the supply:

Provided that where the supplier of taxable goods receives an amount upto one thousand rupees in excess of the amount indicated in the tax invoice, the time of supply to the extent of such excess amount shall, at the option of the said supplier, be the date of issue of invoice in respect of such excess amount.

Explanation 1.—For the purposes of clauses *(a)* and *(b)*, "supply" shall be deemed to have been made to the extent it is covered by the invoice or, as the case may be, the payment.

Explanation 2.—For the purposes of clause *(b)*, "the date on which the supplier receives the payment" shall be the date on which the payment is entered in his books of account or the date on which the payment is credited to his bank account, whichever is earlier.

(3) In case of supplies in respect of which tax is paid or liable to be paid on reverse charge basis, the time of supply shall be the earliest of the following dates, namely:—

(a) the date of the receipt of goods; or

(b) the date of payment as entered in the books of account of the recipient or the date on which the payment is debited in his bank account, whichever is earlier; or

(c) the date immediately following thirty days from the date of issue of invoice or any other document, by whatever name called, in lieu thereof by the supplier:

Provided that where it is not possible to determine the time of supply under clause (a) or clause (b) or clause (c), the time of supply shall be the date of entry in the books of account of the recipient of supply.

(4) In case of supply of vouchers by a supplier, the time of supply shall be—

---

1 The words "sub-section (1) of" omitted by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 2/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019.

(a) the date of issue of voucher, if the supply is identifiable at that point; or

(b) the date of redemption of voucher, in all other cases.

(5) Where it is not possible to determine the time of supply under the provisions of sub-section (2) or sub-section (3) or sub-section (4), the time of supply shall—

(a) in a case where a periodical return has to be filed, be the date on which such return is to be filed; or

(b) in any other case, be the date on which the tax is paid.

(6) The time of supply to the extent it relates to an addition in the value of supply by way of interest, late fee or penalty for delayed payment of any consideration shall be the date on which the supplier receives such addition in value.

अध्याय 4
पूर्ति का समय और मूल्य

धारा 12 : माल की पूर्ति का समय

(1) माल पर कर के संदाय का दायित्व, इस धारा के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित पूर्ति के समय उद्भूत होगा।

(2) माल की पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :–

(क) धारा 31 की [1][......] के अधीन पूर्तिकार द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख या ऐसी अंतिम तारीख, जिसको उससे पूर्ति की बाबत बीजक जारी करने की अपेक्षा है; या

(ख) वह तारीख, जिसको पूर्तिकार पूर्ति की बाबत संदाय प्राप्त करता है :

परंतु जहां कराधेय माल का पूर्तिकार, कर बीजक में उपदर्शित रकम से अधिक एक हजार रूपए तक की कोई राशि प्राप्त करता है, वहां ऐसी आधिक्य रकम के विस्तार तक पूर्ति का समय, उक्त पूर्तिकार के विकल्प पर, ऐसी आधिक्य रकम के संबंध में बीजक जारी किए जाने की तारीख होगा।

स्पष्टीकरण 1.—खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, ''पूर्ति'' को उस विस्तार तक किया गया समझा जाएगा, जहां तक वह, यथास्थिति, बीजक या संदाय के अंतर्गत आती है।

स्पष्टीकरण 2.—खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, ''ऐसी तारीख, जिसके पूर्तिकार संदाय प्राप्त करता है'', वह तारीख होगी, जिसको उसकी लेखा–बहियों में संदाय की प्रविष्टि की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

(3) ऐसी पूर्तियों की दशा में, जिसके संबंध में, प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संदेय है, पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों में से पूर्वतम तारीख होगी, अर्थात्:—

(क) माल प्राप्ति की तारीख; या

(ख) संदाय की तारीख, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा–बहियों में प्रविष्ट है या वह तारीख, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; या

(ग) पूर्तिकार द्वारा बीजक या उसके बजाय कोई अन्य दस्तावेज, चाहे वह जिस नाम से ज्ञात हो, जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन के ठीक पश्चात्वर्ती तारीख :

परन्तु जहां खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन पूर्ति के समय का अवधारण संभव नहीं है, वहां पूर्ति का समय, पूर्ति के प्राप्तिकर्ता की लेखा–बहियों में प्रविष्टि की तारीख होगी।

(4) किसी पूर्तिकार द्वारा वाऊचरों की पूर्ति की दशा में पूर्ति का समय,–

---

1 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा ''उपधारा (1)'' विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

(क) वाऊचर जारी करने की तारीख होगा, यदि पूर्ति उस बिंदु पर पहचान योग्य है; या

(ख) अन्य सभी मामलों में, वाऊचर के मोचन की तारीख होगा।

(5) जहां उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन पूर्ति के समय का अवधारण करना संभव नहीं है, वहां पूर्ति का समय,–

(क) उस दशा में, जहां कोई आवधिक विवरणी फाइल की जानी है, वहां वह तारीख होगा, जिसको ऐसी विवरणी फाइल की जानी है; या

(ख) किसी अन्य दशा में, वह तारीख होगा, जिसका कर संदत्त किया जाता है।

(6) उस सीमा तक, जिस तक उसका संबंध किसी प्रतिफल के देर से संदाय के लिए ब्याज, विलंब फीस या शास्ति को पूर्ति के मूल्य में जोड़े जाने का है, पूर्ति का समय वह तारीख होगा, जिसको पूर्तिकार मूल्य के साथ ऐसा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है।